भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 164

(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया गया)

<u>सीएसआर कार्यों के लिए कर में छूट</u>

164. श्री बी. के. हरिप्रसाद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यों से जुड़े मुख्य मसलों को सुलझाया जा सकता है यदि सीएसआर पर होने वाले व्यय पर कर लाभ प्रदान किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): वित्त अधिनियम, 2014 में यह स्पष्ट है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किया गया व्यय व्यवसाय व्यय का भाग नहीं है। जबकि सीएसआर संबंधी व्यय पर किसी प्रकार की विशिष्ट कर छूट नहीं दी गई है, तथापि अनुसूची-VII के तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे ग्रामीण विकास परियोजना, कौशल विकास परियोजना, अधिसूचित कृषि विस्तारण परियोजना पर किए गए व्यय और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान आदि को विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत पहले से ही छूट प्राप्त है।

*****